14.15 खाद्य सुरक्षा मित्र (एफ.एस.एम) - एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा मित्र (एफ.एस.एम) नामक एक योजना आरंभ की है, जिसके माध्यम से इसकी सक्रियित व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम में जमीनी स्तर पर लगाने की योजना है। खाद्य सुरक्षा मित्र एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा प्रमाणित पेशेवर होता है, जो अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुसार तीन रूपों अर्थात् डिजिटल मित्र (लाइसेंसिंग और पंजीकरण के लिए), प्रशिक्षक मित्र (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए) और वच्छता मित्र (स्वच्छता ऑडिटिंग के लिए) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियम और विनियमों के अनुपालन में सहयोग करता है। यह मुख्य रूप से लघु और मध्यम स्तर के खाद्य कारोबारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे खाद्य कारोबारों को सपोर्ट करने वाले पारदर्शी और संगठित इकोसिस्टम के सृजन से व्यवसाय को और अधिक सरलता से करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि इससे खाद्य कारोबारी प्रशिक्षण कम कीमत पर ले सकेंगे, जिससे उन द्वारा अनुपालन की लागत में कमी आएगी। इस योजना से रोजगार का भी सृजन होगा और अनुपालन तथा खाद्य सुरक्षा इकोसिस्टम सशक्त बनेगा।

एफ.एस.एस.ए.आई ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल https://fssai.gov.in/mitra/ बनाया है और इस पर डिजिटल मित्र का पंजीकरण करना आरंभ कर दिया गया है। राज्यों/संघाशासित क्षेत्रों को अपने यहाँ इस पोर्टल पर सक्रियित व्यक्तियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है।

14.16 खाद्य और बीवरेज क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग में कमी करना - देश की शिखर खाद्य प्राधिकरण के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से खाद्य आर बीवरेज उद्योग को पैकेजिंग के कार्य में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने में सहायता करने के लिए चार विशिष्ट कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1) पेय जल की पैकेजबंदी के समय पेट बोतलों में द्रव नाइट्रोजन की डोजिंग का प्रयोग अनुमत किया। इससे बोतल को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप कम मोटी बोतल के उत्पादन और उपयोग में सहायता मिलेगी;
2) कृत्रिम रूप से मीठे बनाए गए बीवरेजों की पैकेजबंदी के लिए वापसी योग्य बोतलों के उपयोग पर प्रितबंध को हटाया;
3) प्लास्टिक सामग्रियों के विकल्प के रूप में बाँस के उपयोग को अनुमति दी, जैसे नाली, प्लेटें, प्यालियाँ, कटलरी इत्यादि;
4) होटलों को प्लास्टिक की बोतलों की जगह कागज से सीलबंद काँच की बोतलों के उपयोग की अनुमति दी।

इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के उपयोग पर निम्नलिखित विशिष्ट विनियमात्मक उपायों पर कार्रवाई की जा रही है:

1) पेट (PET) में भारी धातुओं की सीमाओं और एंटीमनी और डी.ई.एच.पी (डाईएथिएक्सिल-फथेलेट) की विशिष्ट माइग्रेशन सीमाओं की समीक्षा। इसके अतिरिक्त कैडमियम और क्रोमियम की सीमाएँ तय करने की संभावनाएँ भी खोजी जा रही हैं;

2) पेय जल के लिए गैर-पारदर्शी बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध को हटाना, जिससे खाद्य कारोबारियों को देश में उपयोग की जा रही पेट की बोतलों के विकल्प ढूँढ़ने में सहायता मिल सके।
3) खाद्य की पैकेजबंदी में रीसाइकिल किए गए प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध को हटाने की संभावनाएँ खोजना;
4) पानी, शैंपू, सॉस, अचार आदि वस्तुओं के छोटे-छोटे पैकों पर प्रतिबंध को हटाने की संभावनाएँ खोजना।